

(1)

विविध सिविल अपील-07/2015

न्यायालय- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला-भिण्ड
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध अपील क्रमांक: 07/2015

संस्थापन दिनांक 05.03.2015

फाइलिंग नंबर-230303001212015

1. सरनाम आयु 61 साल
2. रामबरन आयु 56 साल,
पुत्रगण जगन्नाथप्रसाद शर्मा,
निवासी ग्राम बड़ागर परगना गोहद जिला भिण्ड

.....अपीलार्थी/वादीगण

वि रू द्ध

1. जगमोहन आयु 61 साल
2. रामस्वरूप आयु 58 साल,
3. गनेशराम आयु 41 साल
4. बेतालसिंह आयु 36 साल पुत्रगण निरंजन
5. रामशंकर उर्फ बंटी आयु 31 साल
6. मुनीश आयु 29 साल पुत्रगण जगमोहन
समस्त जाति ब्राम्हण निवासीगण ग्राम बड़ागर,
परगना गोहद जिला भिण्ड

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

न्यायालय-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-दो, गोहद
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक-34 ए/14 में पारित
आदेश दिनांक 27/02/2015 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

अपीलार्थी/वादीगण द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा श्री रामवीरसिंह बघेल अधिवक्ता

-:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 30 जून 2016 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थी/वादीगण ने यह अपील श्री पंकज शर्मा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक-34ए/14 में दि.-27/02/2015 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 निरस्त किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर पेश की है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-3 व 4 ग्राम पंचायत के सचिव पद पर कार्यरत हैं और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र0-5 एवं 6 उनके भतीजे हैं। यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में बताई गई वादग्रस्त भूमि पुराना सर्वे क्रमांक-56 जिसका नया

सर्वे नंबर-41 रकवा 01 बीघा 16 विस्वा है। वह वादी/अपीलार्थीगण का है। ग्राम बडागर में आम रास्ते का सर्वे नंबर-107 बंदोवस्त के पूर्व था। यह भी निर्विवादित है कि पक्षकार एक ही गांव के निवासी हैं।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादीगण द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करते हुए एक आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह ग्राम बडागर गोहद स्थित लगभग 90 फीट चौड़ा भाग जो कि आम रास्ते की जगह है जिसमें प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण जबरन निर्माण कार्य कर रास्ते को अवरुद्ध बना रहे हैं। वादग्रस्त भूमि का पूर्व में सर्वे क्रमांक-107 था एवं विवादित भूमि गांव का आम रास्ता होकर गांव आबादी से होकर निकलता था। वादग्रस्त रास्ते से लगी हुई वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक-56 थी। वादीगण उक्त भूमि की ओर जाने के लिये उक्त वादग्रस्त रास्ते से निकलते आ रहे हैं। बंदोवस्त के पश्चात वादग्रस्त रास्ता ग्राम आबादी में शामिल हो गया है। वादग्रस्त रास्ता बंदोवस्त से पूर्व 90 फीट चौड़ा था। बंदोवस्त के पश्चात वादीगण की भूमि सर्वे क्रमांक-56 का नवीन सर्वे क्रमांक-41 हो गया है और वादग्रस्त रास्ते पर प्रतिवादी द्वारा निर्माण करने एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने से वह मात्र 40 फीट चौड़ा रह गया है। दिनांक 29.11.13 को सुबह नौ सबसे बड़े प्रतिवादीगण वादग्रस्त रास्ते में जबरदस्ती निर्माण करने लगे। रोकने पर झगडा पर आमादा हो गये। वादी क्रमांक-3 द्वारा दिनांक 29.11.13 को तहसीलदार गोहद को इस बाबत आवेदन प्रस्तुत किया तो प्रतिवादीगण नाराज होकर झगडे पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य करने से पूर्व ग्राम पंचायत की कोई स्वीकृति नहीं ली गई। दिनांक 30.11.13 को पुनः प्रयास किया। अतः प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रकरण के अंतिम निराकरण तक वादग्रस्त रास्ते में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य न करें न ही किसी अन्य प्रकार से वादग्रस्त रास्ते को अवरुद्ध करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने की प्रार्थना की।

4.

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा वादी/अपीलार्थी के आवेदनपत्र का समुचित उत्तर देते हुए स्वीकृत तथ्यों के अलावा शेष तथ्यों से इंकार कर यह अभिवचन किया कि उन्होंने कोई भी रास्ते का निर्माण नहीं किया है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शित भू-भाग रास्ता नहीं है। वादग्रस्त जगह पर से होकर वादीगण के खेत की ओर जाने के लिये कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा। न ही उससे वादीगण का कोई संबंध है। वादग्रस्त जगह सर्वे क्रमांक-40 ग्राम बडागर में स्थित है। वादग्रस्त जगह पर प्रतिवादी क्र0-5 एवं 06 पूर्वजों के समय से ही घूरा डालकर, कण्डा थापकर, खूंटे गाडकर, खनौटे बनाकर निर्विघन रूपसे उपयोग कर रहे हैं। न ही कोई घटना किसी भी प्रकार की उपरोक्तानुसार हुई है। अतः वादीगण/प्रत्यर्थीगण का आवेदन सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की।

6. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है। वादी/अपीलार्थीगण द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसमें इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है क्योंकि विवादित रास्ते के बगल में खेत है। एक ओर ग्राम आबादी होकर लोगों के मकान बने हुए हैं तथा दो और ग्रामीणों के खेत हैं। इस प्रकार विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता है कि विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अपीलार्थीगण का खेत की ओर रास्ता है तथा खेत के तीनों ओर अन्य लोगों के खेत हैं। इसलिये विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह तथ्य रिकॉर्ड से भली भांति प्रमाणित है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं

किया है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे।

7. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि -
8. "क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थी/वादी का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है?"

निष्कर्ष के आधार

9. वादीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादग्रस्त भूमि जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीय नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है वह ग्राम आबादी का न होकर रास्ते का भाग है। बंदोवस्त के पूर्व रास्ता 90 फीट चौड़ा था जो वर्तमान में 40फीट चौड़ा रह गया है और उस पर भी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण अतिक्रमण करके अवैध निर्माण कर रहे हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है तथा उन्हें अपने खेतों पर जाने के लिये मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है। जबकि उन्हें मार्गाधिकार का सुखाधिकार प्राप्त है और यदि अतिक्रमण व निर्माण को नहीं रोका गया तो अपूर्तनीय क्षति होगी और असुविधा होगी। इसलिये अपील स्वीकार की जावे। यह तर्क भी किया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-3 व 4 ग्राम पंचायत के सदस्य हैं तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-5 व 6 जो उनके परिजन हैं, उनके हक में आबादी भूमि का अवैध तरीके से पंचायत सचिव प्रतिवादी क्र०-3 व 4 ने पट्टे करा दिये हैं जिसकी एस०डी०ओ को अपील की गई है। पट्टे अवैध होकर शून्य हैं। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है और विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल जाकर आलोच्य आदेश पारित करते हुए उनका अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। इसलिये आलोच्य आदेश अपास्त किया जावे और वादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण आबादी भूमि रास्ते पर कोई निर्माण कार्य न करें और उन्हें खेतों पर आवागमन में अवरोध उत्पन्न न करें क्योंकि अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।
10. इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख पर प्रतिवादीगण द्वारा निजी हैसियत से और प्रतिवादीगण के द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत से निर्माण अनुमति प्राप्त करके अपने रिहायशी मकान का निर्माण किया जा रहा है। उसमें वादी/अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है जो केवल गांव की पार्टीबंदी के कारण अनावश्यक विवाद कर रहे हैं, कोई रास्ता अवरुद्ध नहीं किया गया है। नजरीय नक्शा गलत पेश किया गया है और वादी/अपीलार्थीगण को अपने खेतों पर जाने का रास्ता भिन्न है। विवादित स्थान से जाने का रास्ता नहीं है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित व विधिसम्मत होकर पुष्टि योग्य है तथा अपील में कोई बल नहीं है। इसलिये अपील सव्यय निरस्त की जावे।
11. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया, विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/प्रत्यर्थीगण का मूल वाद सुखाधिकार के आधार पर मार्गाधिकार की घोषणा और उसमें अवरोध निषेधित करने संबंधी स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें वाद पत्र के साथ संलग्न नजरीय नक्शे में विवादित स्थल गांव के आम रास्ते में लाल स्याही से चिह्नित किया है। रास्ते से लगी हुई ग्राम आबादी की भूमि एक तरफ और दूसरी तरफ वादीगण व अन्य कृषकों के खेत बताये गये हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र आई०ए०नंबर-1 इस आधार पर

निरस्त किया है कि वादी/अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई नक्शा पेश नहीं किया गया है जो आवागमन के मार्गों को दर्शाता हो। न ही ऐसा कोई नक्शा पेश किया गया है जिसमें वादी/अपीलार्थीगण को अपने खेतों पर जाने के लिये सर्वे क्रमांक-40 में बने आम रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न हो और अभिवचनों में सुखाधिकार का अनुतोष न चाहने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रमाणित नहीं माना। इसी कारण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी उनके पक्ष में न पाते हुए आवेदन निरस्त किया है।

12. स्वयं वादी/अपीलार्थीगण के मूल अभिवचनों मुताबिक वर्तमान में भी आम रास्ता जो ग्राम आबादी से लगा हुआ है और सर्वे क्रमांक-40 की भूमि में है। वह चालीस फीट चौड़ा होना तो स्वीकार करते हैं। बंदोवस्त के पूर्व रास्ता 90 फीट चौड़ा होना तो उन्होंने बताया है किन्तु ऐसा कोई नक्शा अर्द्ध या अन्य प्रमाण अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है जो कि बंदोवस्त के पहले ग्राम आबादी का आम रास्ता 90 फीट चौड़ा होना दर्शित करता हो। आमतौर पर ग्राम आबादी के रास्ते कम चौड़ाई के होते हैं। इससे भी 90 फीट का रास्ता पूर्व में अस्तित्व में रहा हो, ऐसी किसी परिस्थिति व तथ्यों के आधार पर प्रकट नहीं होता है। इसलिये बंदोवस्त के पूर्व 90 फीट चौड़ा रास्ता आबादी भूमि में होने बाबत प्रमाण के अभाव में उपधारणा नहीं बनाई जा सकती है।

13. अभिलेख पर सर्वे नंबर-40 की भूमि आबादी गांव गठान के रूप में शासकीय भूमि के रूप में इन्द्राजित है। सर्वे नंबर-41 की भूमि वादीगण और उनके पिता के नाम की कृषि भूमि के रूप में दर्ज है जिस पर विवाद की स्थिति नहीं है। जो नक्शा अर्द्ध पेश किया गया है उसमें आबादी का सर्वे नंबर-40 और उससे लगा हुए रास्ते का सर्वे नंबर-44 दर्शाया गया है। सर्वे नंबर-41 की भूमि वादीगण की है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्र०-5 रामशंकर पुत्र जगमोहन को ग्राम पंचायत बडागर के प्रस्ताव क्रमांक-27 दिनांक 11.03.04 के द्वारा उसके प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 12.02.04 पर से निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है जिस पर 20 फीट पूर्व पश्चिम और 65 फीट उत्तर दक्षिण भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई जिसे रामशंकर शर्मा के स्वामित्व व आधिपत्य की जगह बताया गया है और उसके दस्तावेज पेश हैं तथा भूखण्ड के पट्टे को भी पेश किया गया है। पट्टा विधिसम्मत है या नहीं, इसकी अभी जांच एस०डी०ओ० गोहद के समक्ष लंबित बताई गई अपील के माध्यम से होना शेष है।

14. वादी/अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत बडागर को या राज्य शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है और विधिक हैसियत से प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पेश किया गया है, प्रतिनिधि वाद नहीं है। लेकिन जिस तरह के आक्षेप किये गये हैं, वे प्रतिनिधि वाद के स्वरूप के हैं और लोक हित वादी के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **मानसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० 2008 भाग-1 एम०पी०एल०जे० पेज-286** में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि लोक हित वाद के प्रस्तुत किये जाने के मंच का उपयोग व्यक्तिगत हित सुलझाने के लिये नहीं किया जा सकता है। जबकि जिस प्रकृति का वाद वादी/अपीलार्थीगण ने पेश किया है और जो अभिवचन किये हैं उससे प्रथम दृष्ट्या ऐसा ही आभाष मिलता है कि वादी/अपीलार्थीगण व्यक्तिगत हित लोक हित का बिन्दु उठाते हुए सुलझाने हेतु प्रयत्नशील हैं। जबकि ग्राम पंचायत को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा दी गई भवन निर्माण अनुमति को स्पष्टतः चुनौती भी नहीं दी है।

15. जहाँ तक मार्ग अवरुद्ध किये जाने का प्रश्न है, यदि शासकीय भूमि या ग्राम आबादी की भूमि पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके लिये ग्राम पंचायत एवं राज्य शासन वैधानिक कार्यवाही करने में सक्षम है और ग्राम पंचायत का संचालन केवल सचिव के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि ग्राम पंचायत एक स्वायत्त शासकीय निर्वाचित इकाई होती है जिसमें सरपंच पंचगण जन प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं। उनके समक्ष ही ठहराव प्रस्ताव पास होते हैं। सचिव केवल प्रक्रिया का पालन करते हैं। ऐसे में यह भी ग्राह्य योग्य बिन्दु नहीं है कि

सचिव ने ही निर्माण अनुमति और पट्टा करा दिया। हालांकि पट्टों के संबंध में जांच विचाराधीन होना बताई गई है। जिसमें उसका निराकरण हो जायेगा।

16. जहाँ तक मार्गाधिकार का प्रश्न है, प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण ने सर्वे नंबर-43 की भूमि पर से वादी/अपीलार्थीगण को अपने खेतों के सर्वे नंबर-41 पर जाने का पूर्व से मार्ग उपलब्ध होना बताया है। वादीगण ने उसका समुचित तौर पर खण्डन नहीं किया है। इसलिये वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता से विद्यमान परिस्थितियों में इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की जाना नहीं पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत विविध सिविल अपील में उठाये गये बिन्दु और लिये गये आधार विधिक बल नहीं रखते हैं। फलतः प्रस्तुत विविध सिविल अपील सारहीन मानते हुए निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.15 को स्थिर रखा जाता है। साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश का विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में गुण-दोषों पर मूल वाद के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्य विधि व परिस्थितियों के आधार पर गुण-दोषों पर निराकरण करेंगे।

17. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

दिनांक- 30.06.2016

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु न्यायिक उपयोग हेतु (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)